भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4944
(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण आवास में सरकारी निजी भागीदारी

4944. श्री रेबती त्रीपुराः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री मनोज तिवारीः
श्री अनुराग शर्माः
श्री संतोष कुमारः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में इस योजना के अंतर्गत त्वरित और गुणवत्तापूर्ण आवासों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पी॰पी॰पी॰) मॉडल के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर उत्तर-पूर्व, झांसी सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या मंत्रालय की किसी अन्य योजना में भी पीपीपी मॉडल को शुरू किया जायेगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार, मकान का निर्माण स्वयं लाभार्थी करेगा/करेगी या अपने पर्यवेक्षण में मकान का निर्माण कराएगा/कराएगी। मकानों के निर्माण के लिए राज्य द्वारा किसी ठेकेदार की सेवाएं नहीं ली जाएंगी। यदि लाभार्थी वृद्ध/निःशक्त या विकलांग हो और इसीलिए स्वयं मकान का निर्माण करने में असमर्थ हो तो ऐसे मकानों का निर्माण राज-मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। यदि फिर भी कुछ लाभार्थी छूट जाते हैं तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें अपने मकान का निर्माण कार्य कराने में ग्राम पंचायतों या ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता के माध्यम से सहायता प्राप्त हो।

(घ) : दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत, मजदूरी रोजगार के लिए नियोजन से संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम इस मंत्रालय में पंजीकृत परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से पूरे देश में पीपीपी मॉडल में चलाया जा रहा है।

*****